UNIT –V

PARTNERSHIP DEFINITION , ESSENTIAL AND NATURAL ; DISTRICT ADVANTAGE AND DISADVANGAGE VIS A VIS PARTNERSHIP AND PRIVATE LIMITED COMPANY MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN PARTNERS AUTHORETY OF PARTNERS ADMISSION OF PARTNERS OUTGOING OF PARTNERS REGISTRATION OF PARTNERSHIP AND DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.

माल विक्रय अधिनियम 1938 –

माल विक्रय अधिनियम 1930, 01 जुलाई 1930 को लागू किया गया । इसमें कुछ 66 धारायें एंव 7 अध्याय है।

धारा 02 परिभाषाएँ –

इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्ध न हो –

1. ''**क्रेता**'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है;
2. ''**परिदान**'' से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वेच्छया अन्तरण अभिप्रेत है।
3. माल का ''**परिदेय स्थिति**'' में होना तब तक कहा जाता है जब तक कि वह ऐसी स्थिति में हो कि क्रेता उसका परिदान लेने के लिए संविदा के अधीन आबद्ध हो;
4. ''**माल पर हक का दस्तावेज**'' के अन्तर्गत वहन–पत्र, डाक–वारण्ट, भण्डागारिक प्रमाण–पत्र, घाटवाल का प्रमाण–पत्र , रेल–रशीद, बहुरूप विषयक परिवहन दस्तावेज माल के परिदान के लिए वारंट या आदेश और ऐसा अन्य कोई भी दस्तावेज आता है जिसका कारबार के मामूली अनुक्रम में उपयोग माल पर कब्जे या नियंत्रण के सबूत के रूप में किया जाता है या जो उस दस्तावेज पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वह माल, जिसके बारे मे वह दस्तावेज है अन्तरित या प्राप्त करने के लिए या तो पृष्ठांकन द्वारा या परिदान द्वारा प्राधिकृत करने वाला तात्पर्मित है।
5. **''कसूर ''** से सदोष कार्य या व्यक्तिक्रम अभिप्रेत है;
6. ''**भावीमाल**'' से वह माल अभिप्रेत है जिसके विक्रय की संविदा करने के पश्चात विक्रेता को विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित करना है;
7. **''माल''** से अनुयोज्य दावों और धन से भिन्न हर किस्म की जंगम सम्पत्ति अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत आते है– स्टाक और अंश , उगती फसलें, घास और भूमि से बद्ध या उसकी भागरूप ऐसी चीजें, जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किये जाने का कराय किया गया हो;
8. वह व्यक्ति **''दिवालिया''** कहलाता है जिसने कारबार के मामूली अनुक्रम में अपने ऋणों का संदाय बंद कर दिया हो या जो अपने ऋणो का; जैसे–जैसे वे शोध्य होते जाएँ, संदाय न कर सकता हो, चाहे उसने दिवालियेपन का कोई कार्य किया हो या नही;
9. ''**वाणिज्यिक अभिकर्ता**'' से ऐसा वाणिज्यिक अभिकर्ता अभिप्रेत है जो अभिकर्ता होने के नाते कराबार के रूढिक अनुक्रम में या तो माल के विक्रय को या विक्रय के प्रयोजना के लिए मात्र के पारेषण का या माल के क्रया का या माल की प्रतिभूति पर धन खड़ा करने का अधिकार रखता हो;

10. **''कीमत''** से वह प्रतिफल अभिप्रेत है, जो माल के विक्रय का धन के रूप में है;
11. **''सम्पत्ति''** से माल की साधारण सम्पत्ति न कि केवल कोई विशेष सम्पत्ति अभिप्रेत है;
12. **''माल की क्वलिटी''** के अन्तर्गत उसकी स्थिति या दशा भी आती है;
13. **''विक्रेता''** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल का विक्रया करता है या विक्रय करने का करार करता है;
14. **''विनिर्दिष्ट माल''** से वह माल अभिप्रेत है, जो उस समय ,जब विक्रय की संविदा की जाती है परिलक्षित और करारित किया जाता है;
15. **माल–विक्रय संविदा के आवश्यक तत्व –**

माल–विक्रय अधि0 की धारा 04 के अन्तर्गत माल–विक्रय संविदा को परिभाषित किया गया हैं। इस धारा के अनुसार माल–विक्रय संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की सम्पत्ति क्रेता को कीमत पर अन्तरित करता है या अन्तरित करने का करार करता है। जो माल को क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है उसे क्रेता कहते है।

जो माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है उसे विक्रेता कहते है विक्रय की संविदा पूर्ण या सशर्त हो सकती है। जब माल में की सम्पत्ति विक्रेता से क्रेता को माल–विक्रय संविदा के अधीन अन्तरित होती है तो इस संविदा को विक्रय कहते है परन्तु जब माल में की सम्पत्ति का अन्तरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अध्यधीन होना है जो तत्पश्चात पूरी की जानी है तो ऐसी स्थिति में संविदा को विक्रय करने का करार कहते है। विक्रय करने का करार तब विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता है या वे शर्ते पूरी हो जाती है जिनके अध्यधीन माल में की सम्पत्ति अन्तरित होती है।

इस प्रकार माल–विक्रय संविदा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है–

01. विक्रेता और क्रेता के मध्य संविदा होनी चाहिए।
02. संविदा माल के विक्रय के लिए होनी चाहिए।
03. माल में की सम्पत्ति का अन्तरण या अन्तरण करने का करार होना चाहिए।
04. माल में की सम्पत्ति का अन्तरण या अन्तरण का करार कीमत के लिए होना चाहिए और कीमत मुद्रा के रूप में दी जानी चाहिए।
05. अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

धारा 5(2) के अनुसार विक्रय की संविदा लिखित या मौखिक या भागतः लिखित और भागतः मौखिक हो सकती है अथवा पक्षकारो के आचरण से विवक्षित हो सकती है परन्तु यह उपबंध तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबन्धों के अध्यधीन है। अतः यदि किसी समय प्रवृत विधि के अन्तर्गत किसी औपचारिकता की पूर्ति करनी आवश्यक है तो उसे पूरा किया जाना इस निमित आवश्यक होगा इस प्रकार माल विक्रय की

संविदा के आवश्यक तत्थो की व्याख्या अग्रलिखित शीर्षको के अन्तर्गत की जा सकती है–

1. <u>विक्रेता और क्रेता के मध्य संविदा –</u>

''विक्रेता'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है क्रेता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो माल क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है।

2. <u>माल के सम्बन्ध में विक्रय –संविदा–</u>

माल–विक्रय संविदा के निर्माण के लिए माल को उसकी विषय–वस्तु होना आवश्यक है। अर्थात संविदा माल के विक्रय हेतु की जानी चाहिए माल की परिभाषा 2(7) में दी गई है। धारा 2(7) के अनुसार माल से अनुयोज्य दावों और मुद्रा को छोड़कर प्रत्येक प्रकार को चल सम्पत्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी सम्मिलित है– स्टॉक और अंश उगती फसले , घास और भूमि से बद्ध या उसकी भाग रूप ऐसी चीजे जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किये जाने का करार किया गया हो। इस प्रकार खड़े पेड़ भी बेचे जा सकते है यदि विक्रय से पूर्ण या विक्रय संविदा के अन्तर्गत उन्हे काटने या पृथक करने का उपबन्ध बनाया गया हो। जल , गैस और बिजली भी माल माने जाते है। पोतों को भी माल शब्द में सम्मिलित किया जा सकता है। सुनाम गुडविल ट्रेड मार्क, पेटेण्ट और कापी राइट को भी माल माना जाता है लाटरी–टीकट भी माल है।

यह उल्लेखनीय है कि अनुयोज्य दावे और मुद्रा को माल शब्द में सम्मिलित नही किया जाता है। यहॉ मुद्रा का अर्थ है चालू मुद्रा से है अर्थात् ऐसी मुद्रा से है जो जायज सिक्का (जैसे करेन्सी नोट) है। इस प्रकार जायज सिक्का और करेन्टी नोट माल नही है और इस कारण इसका विक्रय नही हो सकता। परन्तु पुराने सिक्के जो चालू सिक्के के रूप में नही है और ऐतिहासिक महत्व के है जैसे मुगल कालीन सिक्के माल माने जाते है और उनका विक्रय हो सकता है। विदेशी मुद्रा को भी माल माना जाता है और इस कारण विदेशी मुद्रा का क्रय–विक्रय किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि चल सम्पत्ति जैसे कार के स्वामित्व का प्रश्न मोटर वेहिकल्स ऐक्ट के अन्तर्गत नही बल्कि माल विक्रय अधि0 के अन्तर्गत विनिश्चिय किया जाता है अर्थात चल सम्पत्ति के स्वामित्व का निर्धारण माल –विक्रय अधि0 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है न कि मोटर वेहिकल्स एक्ट के उपबन्धों के अनुसार

03. माल में की सम्पत्ति का अन्तरण या अन्तरण करने का करार–

माल –विक्रय संविदा के लिए माल में की सम्पति का अन्तरण या अन्तरण करने का करार होना चाहिए। माल में की सम्पति से तात्पर्य माल में की साधारण सम्पत्ति से है, न कि विशेष सम्पत्ति से। साधारण सम्पत्ति से तात्पर्य स्वामित्व से है जबकि विशेष सम्पत्ति से तात्पर्य सम्पति को प्रयोग करने का अधिकार, सम्पति का कब्जा रखने का अधिकार इत्यादि से है। माल–विक्रय की संविदा के निर्माण के लिए माल का स्वामित्व, विक्रेता से क्रेता को अन्तरित होना चाहिए या अन्तरित करने का करार होना चाहिए यदि माल का केवल कब्जा अन्तरित किया जाता है तो इसे माल विक्रय की संविदा नही माना जाता है धार 04 देखे।

04. कीमत –माल विक्रय संविदा की दशा में माल के स्वामित्व का अन्तरण या अन्तरण करने का करार कीमत के बदले में किया जाता है इस प्रकार कीमत के बदले में किया जाता है इस प्रकार कीमत विक्रय संविदा के प्रतिफल के रूप में होती है। विक्रेता कीमत के बदले में माल का स्वामित्व अन्तरित करता है या अन्तरित करने का करार करता है। कीमत से वह प्रतिफल अभिप्रेत है जो माल के विक्रय का धन के रूप में है। इस प्रकार कीमत से तात्पर्य माल–विक्रय के लिए धन मुद्रा के रूव में प्रतिफल से है। यदि प्रतिफल मुद्रा के रूप में नही है तो वह माल–विक्रय की संविदा नही हो सकती इस प्रकार माल–विक्रय की संविदा की दशा में कीमत मुद्रा के रूप में होनी चाहिये।

05. संविदा की औपचारिकताये (धारा 5) –

(1) विक्रय की संविदा कीमत पर माल का क्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना और उस प्रस्थापना के प्रतिग्रहण द्वारा की जाती है। संविदा माल के तुरन्त परिदान के या कीमत के तुरन्त संदाय के या उन दोनो के लिए अथवा किस्तों में परिदान या संदाय के लिए अथवा इस बाल के लिए कि परिदान या संदाय या दोनों मुल्तवी रहेंगे, उपबन्ध कर सकेगी। (2) किसी तत्समय प्रवृत विधि के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि विक्रय की संविदा लिखित या मौखिक या भागतःलिखित और भागतः मौखिक तौर पर की जा सकेगी अथवा पक्षकारों के आचरण से विवक्षित हो सकेगी।

माल के क्रय–विक्रय के संव्यवहार में सामान्यतः यह देखा जाता है कि क्रेता अपने मनपंसद का माल स्वयं देखकर खरीदता है। विक्रेता इस संबंध में किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होता है। विक्रेता क्रेता के सामने माल रख देता है और क्रेता को ही यह निर्णय करना होता है कि उसे किस प्रकार का माल चाहिये।

क्रेता सावधान का नियम का अर्थ –

इस प्रकार सामान्य नियम के अनुसार माल का क्रय करते समय क्रेता को सदा सावधान रहना चाहिये। इसे क्रेता की सावधानी का नियम कहा जाता है। क्रेता सावधानी का नियम रोमन विधि का बहुत पुराना नियम है। ऐसे मामलों में विक्रेता सदा एक ही बात कहता है– ''माल मिट्टी पैसा कलदार '' अर्थात् जैसा भी माल है वह सामने है, क्रेता स्वयं परख कर खरीदे।

धारा 16 में निहित क्रेता सावधान के सिद्धान्त का प्रवर्तन केवल उसी दशा में लागू होगा जहॉ पर कि क्रेता तथा विक्रेता के मध्य वस्तु या माल को क्रय तथा विक्रय करने की प्रत्यक्ष संविदा हो।

वार्ड ब0 हाब्स –(1878) 4AC13 – के मामले में टायफाइड बुखार से पीड़ित सुअरों को बेचा गया। क्रेंता द्वारा उन्हे खरीदने के कराण उसके भी सुअर बीमार पड़ कर मर गये। न्यायालय द्वारा अभिनिर्धरित किया गया कि विक्रेता द्वारा कोई कपट न किये जाने के कारण वादी क्षति प्राप्त नही कर सकता है।

02. **एण्ड यूल एण्ड कम्पनी AIR 1932 Cal 879 के वाद में एक व्यक्ति ने बिना उद्देश्य को बताते हुए कपड़ा खरीदा । वादे में उसे यह कह कर बदलने गया कि वह कपड़ा विशेष गंध के कारण खाने की चीजों की पैकिंग के लिए उचित नही है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त कपड़ा अन्य माल के पैकिंग के लिए तो उचित है। अतः उसका निरस्तीकरण उचित नही है।**

क्रेता सावधान के नियम के अपवाद –

धारा 16 निम्नलिखित अपवादों को उल्लेखित करती है–

01. **क्रेता के प्रयोजन के लिए उपयुक्त हो–** धारा 16(1) के प्रावधानों के अनुसार जहॉ क्रेता ने माल के सम्बन्ध में अपना विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता के सामने रख दिया हो तथा विक्रेता के कौशल तथा विवके पर पूरा भरोसा किया हो। वहॉ विक्रेता का कर्त्तव्य है कि वह क्रेता को उचित माल प्रदान करे अन्यथा क्रेता क्षतिपूर्ति लेने के लिए अधिकारी होगी।

(1) प्रीस्ट ब0 लास्ट (1903) 2 के0 वी0 148 सी0 ए0 का एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें वादी ने प्रतिवादी से गरम पानी रखने के लिए उपयुक्त बोतल मॉगी थी तथा प्रतिवादी से यह कह दिया था कि वह इस प्रयोजन के अनुरूप बोतल दे बोतल गरम पानी से टूट जाती है और इससे वादी को क्षति कारित होती है। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह बोतल गर्म पानी के लिए उपयुक्त नही थी और विक्रेता क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार था।

02. **वाणिज्योपयोगी गुणवता –**

जहॉ वर्णनानुसार माल ऐसे विक्रेता से खरीदा जाता है जो उस वर्णन के माल का व्यापार करता हो वहॉ धारा 6 (2) के अनुसार विक्रेता का कर्त्तव्य है कि वह क्रेता के प्रयोजने के अनुरूप माल का परिदान करे तथा माल वाणिज्योपयोगी गुणवत्ता का हो।

इस अधि0 के तहत वाणिज्ययोपयोगी गुणवता को परिभाषित नही किया गया है।

वाणिज्यिक क्वालिटी के परिदान की स्थिति में माल को प्रत्येक दशा में वाणिज्यिक क्वालिटी के अनुक्रम में होना आवश्यक होगा। यदि स्थिति प्रतिकूल साबित होती है तो क्रेता विक्रेता के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का वाद दायर कर सकेगा।

गोडले ब0 पेरी 1960 AIIER36 में एक छः वर्ष के बच्चे ने एक दुकान से प्लास्टिक की गुलैल खरीदी और उसको उपयोग में लाते समय वह टूट गया तथा उसकी बाई ऑख को खराब कर दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि खिलौना वाणिज्यिक गुणवता वाला नही था। अतः वह क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

03. **जक्सन ब0 रोटेक्स मोटर एण्ड साइकिल कम्पनी लि0 (1910)2 के0बी0 137** के मामले में मोटर हार्न के विक्रय की संविदा हुई कई हॉर्न त्रुटिपूर्ण तथा पालिस के कारण बिक्री योग्य ही नही रहे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्रेता सम्पूर्ण माल को अस्वीकार कर सकता है।

04. व्यापारिक प्रथा के तहत विवक्षित शर्त –धारा 16 (3) के प्रावधानों के अनुसार यदि क्रेता माल खरीदता है और यदि वहॉ माल की उपयुक्तता तथा गुणवता के सन्दर्भ में कोई व्यापारिक प्रथा के तहत विवक्षित शर्त निहित है तो यदि माल उसके अनुरूप नही हुआ तो वह क्षतिपूर्ति लेने का अधिकारी होगा।

05. स्पष्ट शर्ते अथवा आश्वासन–धारा 16(4) यह उपबन्धित करती है कि पक्षकार के द्वारा माल विक्रय की संविदा में लगायी हुई स्पष्ट शर्तो या आश्वासन के बावजूद भी विवक्षित शर्ते समाप्त नही मानी जाती।

06. जोखिम का अन्तरण – सम्पति के साथ जोखिम हमेशा जुड़ी रहती है। जब भी किसी सम्पति को क्षति कारित होती है तो यही कहा जाता है कि उसके मालिक को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार माल की जोखिम हमेशा मालिक को ही वहन करनी पड़ती है। कॉमन विधि का एक सुविख्यात नियम है। "जोखिम स्वत्व का अनुसरण करती है।

अर्थात् माल विक्रय अधि0 की धारा 26 में भी इसी सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अनुसार– जब तक अन्यथा करार न हो, माल तब तक विक्रेता के जोखिम पर रहता है जब तक उसमें की सम्पति क्रेता को अन्तरित नही हो जाती है, किन्तु जब उसमें को सम्पत्ति क्रेता को अन्तरित हो जाती है, तब चाहे परिदान किया गया हो या नही, माल क्रेता के जोखिम पर रहता हैः परन्तु जहॉ कि परिदान क्रेता–विक्रेता के दोष से विलम्बित हो गया है, वहॉ माल ऐसी किसी हानि के बावत, जो ऐसे दोष के अभाव में न हुई होती उस पक्षकार के जोखिम पर रहता है, जिसका दोष होः परन्तु यह और ि कइस धारा की कोई भी बात क्रेता या विक्रेता के उन कर्तव्यों या दायित्वों पर प्रभाव न डालेगी जो दूसरे पक्षकार के माल के उपनिहिती के नाते उसके है।

- स्टर्न लि0 ब0 वीकरस लि0 1923 1 के0बी0 78 सी0ए0 के मामले मे 2 लाख गैलन वाले टैंक से 1 लाख 20 हजार गैलन स्प्रिट को बेचा गया। टैंक तीसरे व्यक्ति के कब्जे का था। पारेदान का वारंट क्रेता को दिया गया तथा टैंक मालिक ने इसे स्वीकार किया। परन्तु कुछ माह तक क्रेता ने इस माल को नही उठाया फलस्वरूप कुछ स्प्रिट उड़ गई। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त हानि क्रेता को ही मानी जायेगी तथा वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है।
- अपवाद – निम्नलिखित परिस्थितियों में जोखिम को माल से अलग किया जा सकता है–

01. माल के परिदान में देरी –

जोखिम के सम्बंध में नियम यह है कि यदि माल का परिदान क्रेता अथवा विक्रेता की चूक, लापरवाही या कसूर से नही हो पाता है और माल को कोई क्षति कारित हो जाती है तो उस क्षति के लिये परिदान के लिये दोषी व्यक्ति उत्तरदायी माना जायेगा।
उदाहरण – क को कोई माल ख को किसी तिथि विशेष को ट्रक से भेजना होता है, लेकिन वह कई दिनों तक लापरवाही से उसे नही भेजता है। इसी बीच मालक्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसी क्षति के लिए क उत्तरदायी होगा।

डम्बी हेमिलटन एण्ड क0 ब0 वार्डन (एंडी वाइन्स लि0)(1949) AII ER 435 का मामला महत्वपूर्ण है। इस वाद में प्रतिवादी ने नमूने के आधार पर 30 टन सेब का रस खरीदा जिसे ट्रक से भेजा जाना था। पूरा सेब ज्यूरस का परिदान फरवरी 1946 तक होना था। परन्तु क्रेता की इच्छा पर रोक गया जोकि नवम्बर 1946 तक रूका रहा फलस्वारूप वह खराब हो गया । न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्रेता स्वंय उसके लिए जिम्मेदार है तथा वादी विक्रेता क्रेंता से क्षतिपूर्ति ले सकता है।

02. करार द्वारा विक्रेता एंव क्रेता अपने करार द्वारा जोखिम को माल से अलग कर सकते है। धारा 40 के अनुसार जब विक्रेता माल को अपने जोखिम पर दूर किसी स्थान पर क्रेता को पहुॅचाने का करार करता है वहॉ माल की रास्ते में आवश्यक क्षति का जोखिम क्रेता पर होता है।

03. **मारवाड़ टेन्ट फैक्ट्री ब0 भारत संघ (1990)1 सेक्सन (7)** के मामले में विक्रेता मारवाड़ टेन्ट फैक्ट्र द्वारा 1500 टेन्ट क्रेता को भेजे गये। माल के गन्तव्य स्थान पर पहुॅचने पर 224 टेन्ट कम पाये गये । उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्षति का जोखिम क्रेता पर है।

3. व्यापारिक प्रथाओं द्वारा – व्यापारिक प्रथाओं द्वारा भी जोखिम और माल को अलग किया जा सकता है।

- **अदत्त असंदत्त विक्रेता के अधिकार –**

सामान्य बोलचाल की भाषा में हम अदत्त अंसदत्त विक्रेता ऐसे व्यक्ति को कहते है जिसे अपने माल की कीमत का संदाय नही किया गया है अर्थात् जिसे अपने माल की कीमत नही मिली है।

माल विक्रय अधि0 की धारा 45 में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है–

अदत्त असंदत्त विक्रेता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है –

1) जिसे बेचे गये माल की पूरी कीमत प्राप्त न हुई हो या वह अदा ही न की गई हो;

2) जिसे कीमत का सशर्त भुगतान ऐसे विनिमय पत्र या पराक्राम्य लेख द्वारा किया गया हो जिसे कालान्तर मे भुगतान के लिए प्रर्याप्त न मानकर उसका अनादार कर दिया गया है तथा इस प्रकार भुगतान के साथ जुड़ी शर्त पूरी न होने से कीमत न मिल सकी हो।

अदत्त असंदत्त विक्रेता की उपर्युक्त परिभाषा से इसके निम्नांकित लक्षण प्रतीत होते है–

01. विक्रेता को उसके माल की पूरी कीमत अदा न की गई हो; अथवा
02. उसे कीमत का निविदान न किया गया हो; अथवा
03. उसे किसी विनिमय–पत्र अथवा परक्राम्य लिखित के माध्यम से भुगतान किया गया हो लेकिन उनका अनादर हो जाने से कीमत न मिल सकी हो।

अदृत्त असंदत्त विक्रेता के अधिकार –

इसके निम्नलिखित तीन अधिकार है–

01. धारणाधिकार –

असंदृत्त विक्रेता का प्रथम अधिकार धारणाधिकार का है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसका प्रयोग सामान्यतया किया जाता है। इसके अनुसार असंदृत विक्रेता माल का कब्जा तब तक अपने पास बनाये रखता है जब तक कि उसे उसकी कीमत का पूर्ण रूप से भुगतान नही कर दिया जाता ।

धारा 47 के अनुसार –

''ऐसा असंदत्त विक्रेता जिसको अपने माल की कीमत प्राप्त नही हुई है तथा जिसका अभी माल पर कब्जा है, कीमत मिलने या निविदित किये जाने तक माल अपने पास रोक सकता है; यही उसका धारणाधिकार है।''

असंदत्त विक्रेता का माल पर धारणाधिकार तभी रहता है जब माल उसकी अभिरक्षा में हो। ऐसे माल को वह अपनी अभिरक्षा में निरूद्ध कर सकता है (मै0 जैन मिल्स एण्ड इले0 स्टोर्स ब0 स्टेट आफ उड़ीसा ए0आई0आर0 1991 उड़ीसा 117)

आवश्यक शर्ते –

धारणाधिकार के अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है – जबकि –

01. माल उधार नही बेचा गया हो।
02. माल उधार बेचा गया हो! लेकिन भुगतान की तिथि बीत चुकी हो, एंव
03. क्रेता दिवालिया द्योषित कर दिया गया हो

धारणाधिकार की समाप्ति– यह अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है–

1. जब माल वाहक को परिदान कर दिया जाता है।
2. जब क्रेता के अभिक्रेता या उसका स्वयं का माल पर कब्जा हो जाता है।
3. जबकि इस अधिकार का अभित्यजन कर दिया जाता है।
4. जबकि माल की कीमत अदा कर दी जाती है।

- **माल को मार्ग में रोकने का अधिकार –** असंदत विक्रेता का दूसरा अधिकार माल को मार्ग में रोक देने का है। जैसा कि हमने ऊपर देखा विक्रेता माल को अपने पास तब तक रोक सकता है जब तक कि उसे माल की कीमत प्राप्त नही हो जाती। लेकिन यह तभी सम्भव होता है जबकि माल विक्रेता के कब्जे में ही हों। यदि माल विक्रेता के कब्जे से निकल जाता है तब उसका धारणाधिकार तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसे माल को मार्ग में रोकने का अधिकार मिल जाता है।
- **माल के मार्ग में रोकने का अधिकार तब मिलता है जब –**
  1. विक्रेता को माल की कीमत का संदाय न किया गया हो;
  2. माल विक्रेता के कब्जे से निकल गया हो लेकिन वह अभी तक क्रेता तक पहुॅचा न हो, अर्थात अभी तक क्रेता तक पहुॅचा न हो, अर्थात अभी मार्ग में ही चल रहा हो;

<u>क्रेता दिवालिया द्योषित कर दिया गया हो–</u>

इस अधिकार का औचित्य यह बताया गया है कि क्रेता के दिवालिया हो जाने पर यह न्यायोचित नही है कि किसी के माल से दूसरों के ऋण का भुगतान किया जाय।

(यूथस्टीम शिफट क0 लि0 ब0 कारगो फलीट आयरन कम्पनी{ (1916)2के0बी0 570)}।

इस अधिकार का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है–

1. माल का वास्तवित कब्जा प्राप्त कर अथवा
2. वाहक या उपनिहती को जिसके कब्जे में माल है, अपने दावे की सूचना देकर। माल के गन्तव्य स्थान पर अथवा क्रेता के कब्जे में पहुॅच जाने पर विक्रेता का यह अधिकार समाप्त हो जाता है।

माल को पुनः विक्रय का अधिकार –

असंदत विक्रेता का तीसरा एंव अन्तिम अधिकार माल के पुनः विक्रय का है। इस संबंध में धारा 54 में आवश्यक व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार –

01. जब विक्रेता को माल की कीमत का संदाय नही किया गया है; तथा
02. माल विनश्वर प्रकृति का हो; तब विक्रेता ऐसे माल को किसी अन्य व्यक्ति को वेच सकेगा तथा ऐसे विक्रय से कारित क्षतिपूर्ति क्रेता से प्राप्त करने का हकदार होगा। लेकिन ऐसे पुनः विक्रय से पूर्व क्रेता को युक्तियुक्त सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।

REMEDIES FOR BREACH OF CONTRACT

यदि संविदा का कोई पक्षकार संविदा के अपने भाग का पालन नही करता है अथवा पालन करने में असमर्थ रहता है तो व्यथित पक्ष को दोषीं पक्ष के विरूद्ध कतिपय अधिकार एंव उपचार उपलब्ध हो जाते है। माल विक्रय की संविदाओं में ऐसे ही उपचारों का उल्लेख अधि0 के अध्याय 6 में किया गया है। इन उपचारों का अध्ययन हम निम्नांकित शीर्षको के अन्तर्गत कर सकते है–

01. विक्रेता के उपचार एंव
02. क्रेता के उपचार

विक्रेता के उपचार –

क्रेता द्वारा विक्रय की संविदा को भंग किये जाने पर विक्रेता को उपलब्ध उपचारों का उल्लेख अधिनियम की धारा 55 एंव 56 में किया गया है, यथा

01. **मूल्य प्राप्ति के लिए वाद संस्थित करने का अधिकार–** जब माल का स्वत्व क्रेता में अन्तरित हो जाता है, तब क्रेता का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह विक्रेता को माल की कीमत का भुगतान करे;चाहे परिदान हुआ हो या नही यदि क्रेता निश्चित तिथि को संदाय करने में असफल रहत है; उपेक्षा करता है या इन्कार करता है तो विक्रेता माल की कीमत के लिए क्रेता के विरूद्ध वाद संस्थित कर सकेगा। इस सम्बंध में बुंगी स्टील फर्नीचर ब0 यूनियन आफ इण्डिया ए0आई0आर0 1967 एस0 सी0 378 का एक महत्वपूर्ण मामला है । इसमे उच्चतम न्या0 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहॉ माल का स्वत्व क्रेता को अन्तरित हो जाता है, वहॉ विक्रेता क्रेता के विरूद्ध माल की कीमत के लिए वाद ला सकेगा; चाहे क्रेता माल की कीमत का संदाय गलती से नही कर पा रहा हो अथवा चूक या लापरवाही कर रहा हो।

02. **क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार – क्रेता** का यह कर्त्तव्य होता है िकवह विक्रीत माल को स्वीकार करे एंव उसकी कीमत का संदाय करे। यदि क्रेंता को स्वीकार नही करता है, अथवा स्वीकार करने से इन्कार करता है अथवा लापरवाही करता है और इसमें विक्रेता को कोई नुकसान कारित होता है तो विक्रेता उसकी क्षतिपूति के लिये क्रेता के विरूद्ध वाद ला सकेगा (धारा 56)1 इस सम्बंध मे एस0के0ए0आर0एस0एम0 रामनाथन चेटिटयार ब0 नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि0, नई दिल्ली और अन्य ए0आई0आर0 1985 केरल 262 का एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमे विक्रेता ने क्रेता को कुछ कपड़ा भेजा। विक्रेता द्वारा बार–बार प्रार्थना किये जाने पर भी क्रेता ने वह माल नही लिया। इस पर विक्रेता ने क्रेता को सूचना देकर वह माल किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जिससे विक्रेता को नुकसान कारित हुआ उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विक्रेता का कार्य युक्तियुक्त था तथा वह क्रेता से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है।

03. **क्रेता के उपचार –** विक्रेता के विरूद्ध क्रेता के उपचारों का उल्लेख अधिनियम की धारा 57, 58, एंव 59 में किया गया हैं। क्रेता को विक्रेता के विरूद्ध निम्नांकित उपचार प्रदान किये गये है–

1. **क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाने का अधिकार धारा 57 के अनुसार–** विक्रेता का यह कर्त्तव्य है कि वह संविदा की शर्तो के अनुसार क्रेता को माल का परिदान करे। यदि विक्रेता माल का परिदान करने की उपेक्षा करता है अथवा संदोष रूप में इन्कार करता है और इसमे क्रेता को नुकसान कारित होता है तो वह विक्रेता के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद ला सकेगा।

क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण संविदा अधि0 1872 की धारा 73 एंव 74 में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सामान्यतः क्षतिपूर्ति की यह राशि संविदाकृत कीमत तथा विक्रय की कीमत का अन्तर होती है।

2. **संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराने का अधिकार –धारा 58** के अनुसार विक्रेता द्वारा माल का परिदान नही किये जाने पर क्रेता को उपलब्ध दूसरा उपचार संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद संस्थित करने का है।
   सामान्यतः ऐसे मामलों में न्या0 नुकसानी के लिए क्षतिपूर्ति का आदेश देते है; लेकिन कभी –कभी ऐसी क्षतिपूर्ति प्रर्याप्त नही होती है अथवा उसका निर्धारण किया जाना सम्भव नही होता है। ऐसी दशा में न्यायालय उस संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का आदेश देते है और प्रतिवादी को उसी वस्तु का परिदान करने के लिए बाध्य करते है जिसके बारे में संविदा की गई है। इस सम्बंध मे आवश्यक प्रावधान विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि0 में किये गये है।
3. **आश्वासन भंग किये जाने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार–** धारा 59 के अनुसार जहॉ माल विक्रय की संविदा के साथ कोई आश्वासन संलग्न हो और विक्रेता द्वारा उसको भंग किया जाता है अथवा विक्रेता द्वारा कोई शर्त भंग किये जाने पर क्रेता उसे आश्वासन का भंग मान लेता है; वहॉ क्रेता ऐसे भंग से कारित क्षति के लिए विक्रेता से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा।
   जैक्सन ब0 वाटेन ए0 सन्स (1909/2 के0वी0193) का एक महत्वपूर्ण मामला है इसमें क द्वारा ख को डिब्बे में बन्द मछली का विक्रय किया जाता है। वह मछली खाने योग्य नही होने से ख की पत्नी विषाक्त हो जाती है और परिणामस्वरूप उसका मृत्यु हो जाती है। इसे आश्वासन का भंग मानते हुए क को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

क्रेता एंव विक्रेता के सामान्य उपचार

01. **पूर्वकालिक संविदा भंग –** धारा 60 के अनुसार जो भी पक्ष विक्रेता या क्रेता द्वारा संविदा में निश्चित माल के परिदान की तारीख से पहिले संविदा भंग करता है उसके विरूद्ध दूसरे पक्ष को हुई क्षति की पूर्ति के लिये वाद करने का अधिकार प्राप्त है।

02. **ब्याज पाने का अधिकार –**

धारा 61 के अनुसार क्रेता और विक्रेता को जहॉ ब्याज या विशेष क्षतिपूर्ति वसूलने का अधिकार किसी विधि के अन्तर्गत प्राप्त है वहॉ वे अपना दावा माल विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत भी कर सकते है।